जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 04-09-2020**

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण

गोतस्करी के मामले में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 262/20 धारा 3/5(अ)/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम में वाँछित अभियुक्त नाम पता सोनू पुत्र समशुल हक निवासी बढ़या माफी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि दिनांक 01.09.2020 को 01 राशि गोवंशीय पशु व 01-01अदद (कुल 02 अदद) अवैध चाकू के साथ 02 अभियुक्तगण नाम पता 1- इसरार पुत्र सहीर 2- चनई उर्फ अफजल निवासी मो0 अली निवासीगण साफियाबाद को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त सोनू पुत्र समशुल हक निवासी बढ़या माफी थाना दुधारा मौके से फरार हो गया था। उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना दुधारा पर मु0अ0सं0-262/20 धारा 3/5(अ)/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम तथा बरामद चाकू के सम्बन्ध मे क्रमशः मु0अ0सं0 263/20 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम बनाम इसरार पुत्र सहीर व मु0अ0सं0 264/20 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम बनाम चनई उर्फ अफजल पुत्र मो0 अली पंजीकृत किया गया था । अभियुक्त सोनू पुत्र को आज दिनांक 04.09.2020 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

उर्वरक की दुकान से 33 हजार रुपये चोरी के मामले में वाँछित अभियुक्त चोरी के 11270 रु0 के साथ गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 168/20 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 में वाछिँत बाल अपचारी नाम पता सुधीर पुत्र स्व0 भोला निवासी बेलहरकला थाना बेलहरकला को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि दिनांक 01/02.09.2020 की रात्रि में वादी उमाकान्त मौर्य पुत्र बुद्धिराम निवासी बेलहरखुर्द की बेलहरकला में स्थित खाद एवं बीज की दुकान के काउण्टर का ताला तोड़कर 33000 रु0 चोरी कर लिय़ा था जिसमें वादी द्वारा दिनांक 03.09.2020 को अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण की विवेचना के दौरान अभियुक्त(बाल अपचारी) को गिरफ्तार किया गया तथा चोरी के 11270 रु0 अभियुक्त के पास से बरामद किया गया।

आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 05 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 05 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त नाम पता धर्मेन्द्र यादव पुत्र शंकर यादव निवासी तिलाडी थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर थाना धर्मसिंहवा पर मु0अ0सं0 84/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1493 द्वारा दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को पहुँचाया गया अस्पताल –
पीआरवी 1493 को थाना को0 खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत डिघा से इवेन्ट संख्या 04491 से कालर नें मार्ग दुर्घटना में 02 व्यक्तियों के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 03 मिनट में घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल दोनों व्यक्तियों को पीआरवी वाहन से अस्पताल भेजवाया गय़ा तथा दुर्घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को सूचित किया गया। पीआवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहले पहुचकर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुँचाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 विश्वेश्वर प्रसाद, आ0 मनोज कुमार, मु0आ0चा0 अनिरुद्ध यादव।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 14 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 10 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 46 वाहनो से 42600 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 04-09-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 46 वाहनो से 42600 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।